

No. 3(2)/2011-HRD (Vol.V)  
Government of India  
Ministry of Electronics and Information Technology  
(HRD Division)

Electronics Niketan  
6, CGO Complex  
New Delhi - 110003  
Dated: 03.08.2017


**Subject: Transfer of application under RTI Act, 2005 of Shri Sanjeet Singh dated 15.07.2017 received from Smt Ashma Gandhi, Section Officer, MeitY.**

Sir,

Reference is invited to the RTI application of Shri Sanjeet Singh dated 15.07.2017, forwarded by Smt. Ashma Gandhi, Section Officer, RTI Cell vide letter no. 1(1)/2017-RTI (Vol.II) dated 01.08.2017 for providing information under Right to Information Act, 2005 (copy enclosed).

2. As the information being sought pertains to the two schemes on Skill Development in ESDM which are implemented by National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT), hence, the RTI application is being transferred to CPIO, NIELIT, in terms of provision contained in Sub Section 3 of Section 6 of RTI Act, 2005 for furnishing the requisite information directly to the applicant.

Encl: As above


  
Sanjay Kr. Vyas  
Additional Director  
(CPIO-HRD Division & PEG Division)  
Tel: 24301336, Fax: 24366559  
Email: [s.vyas@nic.in](mailto:s.vyas@nic.in)

To

Shri Umakanta Tripathy  
Assistant Director(EDP) & CPIO  
NIELIT  
N.B.C.C. Bhawan  
Lodhi Road  
New Delhi -110003

Copy for information to:

1. Shri Sanjeet Singh, H/o Ramanand Sahu, Post Office Road, Haripur Colony, Digha, Patna, Bihar - 800011
2. Smt. Ashma Gandhi, Section Officer, RTI Cell, MeitY

  
o/c  
P. Palan  
03/08/17  
Dheeraj  
31/8/17

No. 1(1)/2017-RTI (Vol.II)  
Government of India  
Ministry of Electronics & Information Technology  
'Electronics Niketan', 6, CGO Complex  
New Delhi-110003

Dated: 01.08.2017

**Subject:** Transfer of Application under RTI Act, 2005 of Shri Sanjeet Singh received from M/o Skill Development and Entrepreneurship.

Please find enclosed an application of Shri Sanjeet Singh, received from M/o Skill Development and Entrepreneurship vide O.M. No.I-34013/1/2017-ENP dated 28.07.2017 under RTI Act, 2005. The subject matter of the application pertains to Human Resource Development (HRD) Division. The same is being sent to you for further necessary action.

2. It is requested that the reply may be sent **directly to the applicant.**



(Ashma Gandhi)  
Section Officer

To,

✓ Sh. S. K. Vyas  
Scientist 'E' & CPIO  
Human Resource Development Division  
MeitY

Encl: As above.

Copy to: Shri Sanjeet Singh, H/o Ramanand Sahu, Post Office Road, Haripur Colony, Digha,  
Patna, Bihar - 800011

F. No. I-34013/1/2017-ENP  
Government of India  
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship  
\*\*\*\*\*

2nd Floor, Shivaji Stadium Annexe,  
Shaheed Bhagat Singh Marg,  
New Delhi-110001  
Dated 28<sup>th</sup> July, 2017


OFFICE MEMORANDUM

Subject:-Transfer of RTI Application under Section 6(3) of RTI Act,  
2005-reg.

The undersigned is directed to refer to RTI Application dated 15.07.2017 (copy enclosed) received in this Ministry on 21.07.2017 from Sh. Sanjeet Singh seeking information on Electronics System Design & Manufacturing (ESDM). As the subject matter of the above RTI application pertains to M/o Electronics & Information Technology, the same is being transferred with the request to supply the information directly to the applicant under intimation to this Ministry.

2. If information of the above RTI Application falls under the jurisdiction of other Public Authority, it may please be transferred to the Public Authority concerned.

Encl: As above

  
(A.S. Muraleedharan)  
Under Secretary to the Govt. of India  
Ph: 23450867

To

CPIO/Nodal Officer, RTI Cell,  
Department of Electronics and Information Technology (DeitY)  
Ministry of Communications & Information Technology  
Electronics Niketan, 6, CGO Complex,  
Lodhi Road, New Delhi: 110003

Copy for information to:

1. Sh. Sanjeet Singh, H/o Ramanand Sahu, Post Office Road, Haripur Colony, Digha, Patna, Bihar-800011 (with request to approach the above mention CPIO in respect of your RTI application)
2. Sh. Jay Prakash, Nodal Officer, RTI Cell, MSDE

227  
7/27  
7/27  
7/27

Date - 15/07/17

सेवा में  
के.पी. कृष्णन (सचिव)  
कौशल विकास मंत्रालय

RTI Cell NISDE  
No - 124/dt - 21-07-17

विषय: → सूचना के अधिकार के अन्तर्गत  
सूचना हेतु

सूचना: -

① क्या नियमा अनुसार (Training Partner) किसी भी अन्य संस्था को MOU बना कर प्रशिक्षण केंद्र खोलने की अनुमति दे सकता है?

का.

② क्या ESDM में बच्चों के रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रशिक्षण भागीदार बच्चों को class एवं Assment नही कराता है/तब उस अवस्था में शिकायत करने पर प्रशिक्षण भागीदार पर क्या कार्रवाई किया जाएगा?

JS(JS)



③ ESDM में रजिस्टर्ड PAWNI EDUTECH PRIVATE LIMITED [ESDM-BR-TP-00050] को किस आधार पर रजिस्ट्रेशन दिया गया उसकी धाया प्राप्ति एवं कितने प्रशिक्षार्थी आज तक नामांकन किया गया और कितने को Assment हुआ पूरा विवरण दिया जाए?

JS(BICR)

US(BNAC) Contact No - 95045 823119

आफका अमारी  
संजीव सिंह

ESDM pertains to NIESBUD

US(M) may look into

this for answer

21/7/17  
21/7  
21/7  
21/7

H/O - रामानन्द साहू  
पोस्ट ऑफिस रोड  
हरिपुर कालोनी  
दीघा  
पटना - 800011

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship,  
(RTI Cell)

Please find enclosed herewith a Postal Order of Rs.10/-(Rupees ten only) bearing No. 38F 592853 (in original) in respect of RTI application fee submitted by Sh. Sanjeet Singh.

*J. Prakash*

(Jay Prakash)  
Section Officer (RTI Cell)  
Dated: 24.07.2017

Encl: Postal Order of Rs.10/-

DDO,MSDE

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.इ.सू.प्रौ.स.)

**National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT)**  
(An ISO 9001 : 2008 Certified Organisation)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India

मिसिल सं. 61(2)/1880/नाइलिट/मु.

17 अगस्त, 2017

श्री संजीव सिंह

H/o रमानन्द साहू

पोस्ट ऑफिस रोड, हरीपुर कालोनी, डिघा, पटना

बिहार- 800011

मो. नं- 9504523119

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के अंतर्गत सूचना मांगने के सन्दर्भ में आपका दिनांक 15 जुलाई, 2017 का आवेदन श्री संजय कुमार व्यास, अपर- निदेशक, सीपीआईओ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हस्तांतरित पत्र नाइलिट मुख्यालय के आरटीआई विभाग में दिनांक 4 अगस्त, 2017 प्राप्त हुआ।

2. इस संस्था के संबंधित अनुभागों से धारा 5 (4) और 5 (5) के अंतर्गत प्राप्त अपेक्षित सूचना के अनुसार उत्तर इस प्रकार है:-

उत्तर :

| क्र.सं | मांगी गई जानकारी   | प्रदत्त जानकारी  |
|--------|--|--|
| 1.     | क्या नियमानुसार (Training partners) किसी भी अन्य संस्था को MOU बना कर प्रशिक्षण केंद्र खोलने की अनुमति दे सकता है। | ईएसडीएम योजना की दिशानिर्देशों के पृष्ठ सं. 11 के अनुसार उत्तरदायित्व शीर्षक के अंतर्गत: प्रशिक्षण भागीदार के लिए (टी पी) पैरा डी- सम्बद्धता उप- पैरा 11: " प्रशिक्षण भागीदार हर समय, प्रशिक्षण की सब- फ्रेचाईजी नहीं कर सकते। ऐसी किसी भी गतिविधि के पाये जाने पर गैर- अनुपालन समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षण भागीदार को ईएसडीएम कौशल विकास योजना में सम्मिलित होने से संबंधित सम्बद्धता नहीं दी जा सकती है। |

आगे...

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारत सरकार की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था  
An Autonomous Society under Ministry of Electronics and Information Technology

इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003

Electronics Niketan, 6 CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003

दूरभाष / Telephones - 011-24363330-1-2, 24366577-79-80 फैक्स/Fax - 011-24363335, 24363937

वेबसाइट/Website - www.nielit.gov.in

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| <p>2.</p> | <p>क्या ESDM में बच्चों के रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रशिक्षण भागीदार बच्चों को class एवं Assment नहीं कराता है। तब उस अवस्था में शिकायत करने पर प्रशिक्षण भागीदार पर क्या कार्यवाही किया जाएगा।</p>                     | <p>अभ्यर्थी के पंजीकरण के बाद, प्रशिक्षण भागीदार द्वारा निर्धारित अवधि में कक्षाओं का संचालन करना आवश्यक है। पाठ्यक्रम के प्रत्येक स्तर के लिए, ईएसडीएम योजना के अंतर्गत अवधि, पाठ्यक्रम का शुल्क और आकलन पूर्वनिर्धारित होता है। यह प्रशिक्षण भागीदार और संबन्धित मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी (केआईए) का उत्तरदायित्व है कि वह ईएसडीएम योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। योजना के दिशानिर्देशों के पृष्ठ सं 12 के अनुसार उत्तरदायित्व शीर्षक के अंतर्गत प्रशिक्षण भागीदारों के लिए (टीपी) उप- शीर्षक जी) दिशानिर्देशों का गैर- अनुपालन</p> <p>"प्रशिक्षण भागीदार द्वारा ईएसडीएम कौशल विकास योजना पर मोबिलाइजेशन, नामांकन, प्रशिक्षण के संचालन, आकलन की सुविधा, संपर्क के दौरान उक्त दिशानिर्देशों का गैर- अनुपालन अथवा कदाचार को तमन्वय समिति जिसमें के.आई.ए. के तीनों एमडी/ सीईओ अर्थात् ईएसएससीआई, एनआईईएलआईटी और टीएसएससी हैं, के समक्ष रखा जाएगा तथा इसके परिणामस्वरूप बैच का निरस्तीकरण और संबद्ध प्रशिक्षण भागीदार के विरुद्ध कठोर कार्यवाई हो सकती है। साथ ही, गंभीर प्रकरणों में ईएसडीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत संबद्धता वापसी/ ब्लैकलिस्टिंग हो सकती है।</p> |
| <p>3.</p> | <p>ESDM में रजिस्टर्ड PAWNI EDUTECH PRIVATE LIMITED [ESDM-BR-TP-00050] को किस आधार पर रजिस्ट्रेशन दीता गया उसको छायाप्रति एवं कितने परीक्षार्थी आज तक नामांकन किया गया और कितने को Assment हुआ पूरा विवरण दिया जाए।</p> | <p>टीपी- पावनी एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड के पंजीकरण पर पूछे गए प्रश्न के संबंध में: आपके द्वारा मांगी गई जानकारी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मुख्यालय के पास उपलब्ध नहीं है।</p>   |

आगे...

3. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त सूचना से सहमत नहीं हैं तो उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में आप अपीलीय प्राधिकारी के पास नीचे दिये गये पते पर इस पत्र के जारी करने के तिथि से 30 दिनों के अंतर्गत अपील कर सकते हैं।

श्री जनक राज


अपीलीय प्राधिकारी

नाइलिट (मुख्यालय)

इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110 003

दूरभाष सं. 011-24362874, फैक्स सं. 011-24363335

भवदीय,

  
17/8/17  
(ललिता शर्मा)

जन सूचना अधिकारी

ई-मेलआईडी: [lalita@nielit.gov.in](mailto:lalita@nielit.gov.in)

दूरभाष सं.- 011- 24367714

प्रतिलिपि:

1. अपीलीय प्राधिकारी
2. श्री ललित डाबी, सहायक (तकनीकी)
- ✓ 3. श्री संजय कुमार व्यास, अपर- निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय